

nt>

Title: Requested not to extend the term of Shri U.N. Biswas, Joint Director, C.B.I. and also accused two Cabinet Ministers for taking bribes.

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की घोषित नीति है कि किसी भी हाल में सेवा में एक्सटेंशन नहीं दिया जाए। पंचम वेतन आयोग ने भी इस तरह की सिफारिश की थी। पटना हाई कोर्ट में सरकार ने एफिडेविट दिया कि कोई केस का वेरीफिकेशन बाकी नहीं है इसलिए सी.बी.आई. के जाइंट डायरेक्टर यू.एन.विश्वास को नहीं दिया जाए। (व्यवधान) लेकिन तुराई कमेटी की अनुशंसा पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। उस पर कोलकाता हाई कोर्ट में अपील भी नहीं हुई। (व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट को भी मिसलीड किया गया। (व्यवधान) एक करोड़ रुपया लिया गया, उसको भी मुखबिर बनाकर छोड़ दिया गया। (व्यवधान) सरकार के दो मंत्री हैं, जिनके नाम हैं डायरी में कि एक करोड़ रुपया लिया गया। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके पास कोई सब्सटेंशियल एविडेंस है तो दीजिए।

(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : ...*-----*

MR. SPEAKER: You cannot raise such kind of matters in a vague manner.

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : मेरे पास सबूत है। (व्यवधान) डायरी में दोनों का नाम है

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उसको सभा पटल पर रख दें। **

(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसलिए दो मंत्रियों को बचाने के लिए यह सब किया जा रहा है

(व्यवधान) यू.एन. विश्वास को एक्सटेंशन दी गई है। (व्यवधान) मैं सरकार को चुनौती देता हूँ कि सरकार इसकी जांच कराए। (व्यवधान) दो मंत्रियों को बचाया जा रहा है। (व्यवधान) अगर जांच हो तो सही बात सामने आ जाएगी।

SHRI K.H. MUNIYAPPA (KOLAR): Mr. Speaker, Sir, the silk industry has traditionally been the mainstay of a large number of farmers. Karnataka leads the other States in the country like Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Tamil Nadu, Jammu and Kashmir, and West Bengal ...*(Interruptions)*

MR. SPEAKER: Shri Muniyappa, please wait for a minute. Now, the hon. Minister of Agriculture.

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी बोलते हुए कुछ कहा। चूंकि मैं यहां बैठा हूँ, इसलिए हमने उस बात को सुन लिया। इन्होंने किसी संदर्भ में मेरा नाम लिया। (व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह डायरी सबूत है। (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Nothing should go on record except what the Minister says.

*(Interruptions) **

श्री नीतीश कुमार : आप हमारी पूरी बात सुन लीजिए। इन्होंने किसी सिलसिले में हमारा नाम लिया है।

अगर कोई आक्षेप है, (व्यवधान) आप जरा सुन लीजिए। हम अध्यक्ष महोदय को कह रहे हैं।

(व्यवधान)

***Not Recorded.**

**** As the Speaker subsequently did not accord the necessary permission, the document was not treated as laid on the Table.**

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, आप बैठिए। आपने बोल दिया न। मिनिस्टर रिप्लाय दे रहे हैं। आपने सुन लिया। अब आप बैठिए।

(व्यवधान)

MR. SPEAKER: This will not go on record.

*(Interruptions) **

अध्यक्ष महोदय : आपके पास कोई सबूत है तो हमने पहले बता दिया, आप टेबल पर रख दो। आप पहले टेबल पर रख दो।

â€¦(व्यवधान)

नीतीश कुमार : अध्यक्ष जी, किसी भी सिलसिले में हो लेकिन उनकी ध्वनि से ऐसा लगा कि उन्होंने कोई आक्षेप मुझ पर और एक अन्य केन्द्रीय मंत्री पर लगाया है।â€¦(व्यवधान) ऐसी उससे ध्वनि मिली है।â€¦(व्यवधान)

MR. SPEAKER: If he has mentioned your name, I think it can be expunged from the record.

...(Interruptions)

श्री नीतीश कुमार : जोर-जोर से चिल्लाने से उनकी बात सत्य थोड़े ही हो जाएगी।â€¦(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Nothing should go on record except the Minister's speech.

(Interruptions)*

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, यह आप हाउस में क्या कर रहे हैं? आप बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? पहले आप बैठिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : उनकी ध्वनि से और उनके भाव से और जो कुछ भी सुना जा सका, ऐसा लगा कि उन्होंने मुझ पर और एक अन्य केन्द्रीय मंत्री पर आक्षेप लगाया है। नियमों के मुताबिक सदन के किसी भी सदस्य के बारे में कोई भी आक्षेप लगाना हो तो उसके पहले उसका वाकायदा नोटिस दिया जाना चाहिए और उसकी कॉपी सम्बद्ध सदस्य को भी मिलनी चाहिए। मैं इस सदन का सदस्य हूँ। कोई भी आक्षेप लगाना

*Not Recorded.

चाहे, उसको आक्षेप लगाने की इजाजत नियमों के अन्तर्गत दीजिए ताकि वह आक्षेप लगाए और मैं उस आक्षेप का उत्तर नियमों के हिसाब से दे सकूँ।â€¦(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Nothing should go on record.

(Interruptions)*

श्री नीतीश कुमार : इस तरह से ज़ीरो ऑवर में हल्लागुल्ला करके और कोई पता नहीं कौन सा कागज लेकर जो कई बार कई समाचार-पत्रों मेंâ€¦(व्यवधान) हल्ला करने से नहीं, जरा सुन लीजिए। कोई भी चीज को हल्ला करके और भ्रम उत्पन्न करके कोई कंप्यूजन पैदा करने की कोशिश करेगा तो यह इजाजत नहीं दी जा सकती है और कम से कम सदन का इस्तेमाल इसके लिए होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। किसी को भी कोई आक्षेप लगाना हो तो नियमों के मुताबिक नोटिस दे। मैं तो उस दिन धन्यवाद दूंगा कि इस सिलसिले में कोई आक्षेप लगाये और उस आक्षेप का जवाब हमको इस सदन के मंच से देने का मौका मिले।â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, आपके पास कोई सबूत हो तो आप टेबल पर रख दो। पहले सबूत टेबल पर रख दो।

â€¦(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : कागज रखने की बात नहीं है। बाजाफ़ता नोटिस का प्रोवीजन है।â€¦(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिमा) : अध्यक्ष महोदय, इनके नाम को प्रोसीडिंग्स से निकाल दिया जाये।â€¦(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : नियमों के हिसाब से यह काम करना सफ़िशिएंट नहीं है। बाजाफ़ता नोटिस देना होगा।â€¦(व्यवधान) उस नोटिस का कोई मतलब नहीं है। मेरे पास कोई नोटिस की कॉपी नहीं है। अगर मेरे पास नोटिस की कॉपी आएगी तो हम पूरे तौर पर जवाब देंगे और बेनकाब करके रख देंगे।â€¦(व्यवधान)

जो काम आप लोगों ने एक्यूज्ड के सहारेâ€¦(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं चुनौती देता हूँ इसकी जांच की जाये।â€¦(व्यवधान)

*Not Recorded.

अध्यक्ष महोदय : पहले आप सुन लो। कोई एलीगेशन हो तो आपको प्रोपर नोटिस देना है। ज़ीरो ऑवर में नोटिस देकर ऐसा एलीगेशन मत लगाओ। आप कोई सबस्टेंशियल एवीडेंस दे दो, प्रोपर नोटिस दे दो। बाद में एलीगेशन करना। ज़ीरो ऑवर में ऐसा एलीगेशन मत करो। यह ठीक नहीं है।

â€¦(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : जब यहां पर चुनौती स्वीकार करते हैं तो बिहार में क्या करते होंगे? â€¦(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Mr. Minister, I have already given the ruling please.

श्री नीतीश कुमार : नियमों के मुताबिक नोटिस दें ताकि आक्षेप का जवाब हम दे सकें। (व्यवधान) हम जानते हैं कि भ्रम पैदा करने की कोशिश पूरे चारा घोटाले की जांच के समय से ही 1996 के शुरू से ही की थी ताकि 161 में किसी एक्यूज्ड का स्टेटमेंट दिलाकर (व्यवधान) 161 का स्टेटमेंट जब तक एवीडेंस के साथ नहीं हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। (व्यवधान)

13.00 hrs.

धारा 196 के तहत कथित किसी एक्यूज्ड के स्टेटमेंट को मैं चुनौती देता हूँ। पूरे दस्तावेज के साथ और जिम्मेदारी के साथ आक्षेप लगायें,, मैं इनकी बखिया उधेड़ कर रख दूंगा। (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Mr. Minister. Please

MR. SPEAKER: Nothing should go on record except what Shri Rajesh Ranjan speaks.

(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Rajesh Ranjan, what is your submission?

***Not Recorded.**

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष महोदय, रघुवंश बाबू ने श्री यू.एन. बिश्वास के मामले को उठाया..

अध्यक्ष महोदय : वह मामला हो गया और हमने रूलिंग भी दे दी है। यह सब्सटेंटिव नोटिस नहीं है। इसलिये ऐसा मैटर हाउस में मत उठायें।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : हम यही बात कह रहे हैं..

अध्यक्ष महोदय : हमने रूलिंग दे दिया है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि जब इस मामले में जांच की जा रही थी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के आदेश पर यह तय हुआ था कि जब तक श्री यू. एन. बिश्वास या कोई अन्य पदाधिकारी जांच कर रहा है, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक वही काम करता रहेगा। हाई कोर्ट के नियमन पर सुप्रीम कोर्ट ने नियमन देकर श्री यू.एन. बिश्वास.....

अध्यक्ष महोदय : हमने इस बारे में अपना रूलिंग दे दिया है। प्लीज बैठ जायें।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का मामला फिर आ गया है...

अध्यक्ष महोदय : यदि आ गया है तो वह रिकार्ड से निकालेंगे।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष महोदय, यही हम चाहते हैं।

...(Interruptions)